OS 1345/20

भारतीय कोर्ट फी

भारत 500 रु. पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

INDIA Rs.500 FIVE HUNDRED RUPEES

INDIA COURT FEE

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

551133

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (वरिष्ठ) कक्ष नं 15
मुजफ्फरनगर

श्रीमती भगपती ——— वादिनी
बनाम
रामप्रवेश आदि ——— प्रतिवादीगण

बाबत:

स्टाम्प शुल्क रु 500/-

08/10/2020

मुकेश कुमार
स्टाम्प लिपिक
सिविल कोर्ट मुजफ्फरनगर

OS 1345/2020

वादिनी-
श्रीमती लक्ष्मपती
——— वादिनी
द्वारा
वकील

08/10/2020

धारा 2–यह कि वाद भूमि का पूर्ण विवरण वाद पत्र के अन्त में दिया जा रहा है

न्यायालय श्रीमान सिविल जज(प्र0ख0)महोदय कक्ष सं0—15 सुलतानपुर

श्रीमती लखपती उम्र करीब 70 साल बेवा रामचरन निवासिनी ग्राम—मझुई (डिहवा) परगना—चांदा तहसील—लम्भआ जनपद सुलतानपुर...............वादिनी

बनाम

1—राम प्रवेश उम्र करीब 30 साल सुत रामफेर

2—बृजेश उम्र करीब 25 साल सुत रामफेर

3—सुभाष उम्र करीब 27 साल सुत रामफेर

4—श्रीमती लालती उम्र करीब 60 साल बेवा रामफेर

निवासीगण ग्राम—मझुई (डिहवा) परगना—चांदा तहसील—लम्भआ जनपद सुलतानपुर...प्रतिवादीगण

सा0वा0सं0— /2020

दायरा दिनांक—

<u>दावा स्थायी व्यादेश</u>

महोदय,

वादिनी निम्न प्रकार विनयी है कि :—

धारा 1—यह कि वादिनी बसिलसिले अपने मूरिसान कब्ल खात्मा जमीन्दारी के अरर्सा पूर्व से मौजा—मझुई (डिहवा) परगना—चांदा तहसील—लम्भआ जनपद सुलतानपुर. की आबादी में आबाद चली आ रही है। उसकी खेतीबारी मकान अगवाड़ा—पिछवाड़ा मौजा हाजा में वाके है। प्रतिवादीगण भी मिस्ल वादिनी मौजा हाजा के वासिन्दा है।

धारा 2—यह कि वाद भूमि का पूर्ण विवरण वाद पत्र के अन्त में दिया जा रहा है तथा मौके की वास्तविक स्थित दर्शित करने हेतु वाद पत्र के साथ एक

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र0 ख0) कक्ष संख्या 15 सुलतानपुर
श्रीमती लखपती बनाम राम प्रवेश आदि सा0वा0 सं0— सन 2020 ई0

नक्शा नजरी दी जा रही है। जिसमें वाद भूमि व उसके अगल बगल स्थित चीजो को यथास्थान प्रदर्शित किया गया है नक्शा नजरी में वाद भूमि को बरंग सुर्ख अक्षर अ, ब, स, द से दर्शित किया गया है। नक्शा नजरी वाद पत्र का अभिन्न अंग है।

धारा 3–यह कि मौजा हाजा में वादिनी के पति का बनवाया हुआ दो खन्द का मकान वाके रहा जो काफी जर्जर व पुराना हो गया था, वादिनी ने किसी प्रकार से रूपया पैसा का इन्तजाम करके दक्षिणी खन्द का निर्माण करवाया जो इस समय अपने स्थान पर स्थित है तथा उत्तरी खन्द गिर गया है जिसका उपयोग व उपभोग वादिनी बसिलसिले अपने पति के जमाने से करती चली आ रही है। विवादित आराजी वादिनी के मकान नं. 152 का उत्तरी अंश है।

धारा 4–यह कि वादिनी बसिलसिले अपने पति मौजा हाजा में जमीन्दारी टूटने के पूर्व से आबाद रही वाद खात्मा जमीन्दारी वादिनी के पति अपने मकान व उससे संलग्न भूमि के अन्तर्गत धारा–9 जमींन्दारी विनाश अधिनियम एवं भूमि सुधार अधिनियम मालिक व स्वामी हो गये और यह विवादित भूमि वादिनी के उसी पुराने मकान का उत्तरी जुज अंश है।

धारा 5–यह कि विवादित भू–भाग पर वादिनी का खपरैल मकान वाके रहा हे जिससे प्रतिवादीगण का कभी कोई वास्ता सरोकार कब्जा व दखल न क्षणमात्र के लिए रहा है और न आज ही है।

धारा 6–यह कि प्रतिवादीगण का मकान विवादित भूमि के जानिब पूरब स्थित हैं और उनके मकान का सेहन व बैठका उनके मकान के सामने जानिब पूरब तरफ काफी बड़े भू–भाग में स्थित है।

धारा 7–यह कि प्रतिवादीगण की नियत हमेशा फैलाव की रहती है। क्योंकि विवादित भूमि पर स्थित वादिनी के मकान का जुज उत्तरी भाग खस्ता हालत में गिरा पड़ा है इसलिए प्रतिवादीगण अपनी फैलाव वादी नीति के

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र0 ख0) कक्ष संख्या 15 सुल्तानपुर
श्रीमती लछपती बनाम राम प्रवेश आदि सा0वा0 सं0– सन 2020 ई0

तहत विवादित भूमि से वादिनी को बेदखल कर उस पर जबरदस्ती कब्जाकर उस पर नवनिर्माण कर लेने की कोशिश में लगे हुए है।

धारा 8—यह कि वादिनी की गरीबी व लाचारी का बेजा व नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादीगण, वादिनी के गिरे हुए मकान पर जबरदस्ती कब्जा करने के लिए प्रयासरत है और वादिनी को बराबर वाद भूमि से बेदखल कर देने की धमकी दे रहे है।

धारा 9—यह कि प्रतिवादीगण अपने नाजायज कृत्य को अन्जाम देने की नियत से दिनांक—05.10.2020 को विवादित भूमि पर आकर उसकी नाप जोख करने लगे। वादिनी द्वारा मना करने पर आमादा फौजदारी हुए और विवादित भूमि से वादिनी को बेदखलकर उस पर जबरदस्ती कब्जा करके नवनिर्माण कर लेने की ऐलानियां धमकी देने लगे।

धारा 10—यह कि प्रतिवादीगण की ऐलानियां धमकी पर वादिनी ने ग्राम के सम्भ्रान्त व्यक्तियों की पंचायत बुलायी किन्तु भरी पंचायत में प्रतिवादीगण अपनी बेजा हरकत में बाज आने को तैयार नहीं हुए और अपनी नाजायज धमकी पर अडिग है।

धारा 11—यह कि वाद का मुख्य कारण समात अदालत हाजा दिनांक—05.10.2020 को प्रतिवादीगण द्वारा एकजुट होकर विवादित भूमि की नापजोख करने, वादिनी द्वारा मना करने पर आमादा फौजदारी होने तथा विवादित भूमि से वादिनी को बेदखल कर उस पर जबरदस्ती कब्जा करके नवनिर्माण कर लेने की ऐलानियां धमकी देने वादहू भरी पंचायत में पंचो की बात को मानने से स्पष्ट रूप से इन्कार कर देने के कारण माननीय न्यायालय के न्यायिक व आर्थिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न हुआ।

धारा 12—यह कि माननीय न्यायालय के न्यायिक व आर्थिक क्षेत्राधिकार के निस्तारण के लिए विवादित भूमि की बाजारी कीमत मु0—600000/—रूपये

कायम की जाती है, तथा बअदाय कोर्ट फीस मु0—600000/—रूपये के 1/5 भाग मु0—120000/—रूपये पर दावा स्थायी व्यादेश होने के नाते अधिकतम न्यायशुल्क मु0—500.00/—रूपये अदा किया जाता है।

<u>याचना</u>

अ—डिक्री स्थायी व्यादेश वहक वादिनी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अम्र की सादिर फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण को हमेशा—हमेशा के लिए मना कर दिया जावे कि वे विवादित आराजी में न कोई निर्माण करे न उससे वादिनी को बेदखल करे, न वाद भूमि की नवैयत तब्दील करें, न वादिनी के शान्तिपूर्ण अध्यासन में हस्तक्षेप व अवरोध उत्पन्न करे न ही कोई ऐसा कार्य करे जिससे वादिनी के शान्तिपूर्ण अध्यासन में हस्तक्षेप व अवरोध हों

स—वाद व्यय वादिनी को प्रतिवादीगण से दिलाया जाय।

द—अन्य याचना जो न्यायालय उचित समझे वादिनी को प्रतिवादीगण से प्रदान करवायी जाय।

<u>विवरण विवादित भूमि</u>

विवरण विवादित भूमि स्थित ग्राम—मझुई (डिहवा) परगना—चांदा तहसील—लम्भआ जनपद सुलतानपुर बमुताबिक नक्शा नजरी बरंग सुर्ख अक्षर अ, ब, स, द जुज अर्जी दावा जो मकान नं0—152 का उत्तरी अंश है।

प्रार्थिनी

लखपती

मैं वादी तसदीक करती हूँ कि वाद पत्र की धारा 1 ता 11 मेरे निजी ज्ञान से सही व सच है तथा धारा 12 व याचना के सही होने का पूरा विश्वास है इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है ईश्वर मेरी मदद करें तसदीक मुकाम दीवानी अहाता जनपद सुलतानपुर

तसदीक दिनांक 08-10-2020

लखपती

श्रीमती लखपती बेवा रामचरन
निवासिनी ग्राम—मझुई (डिहवा)
परगना चांदा तहसील लम्भआ
जनपद सुलतानपुर ....वादिनी

द्वारा
अधिवक्ता
दिनांक 08-10-2020

न्यायालय श्रीमान सिविल जजमहोदय (जू०ड०) कक्षा सं० 15 सुल्तानपुर

6

श्रीमती लखपती ——————— वादिनी

बनाम

राम प्रवेश आदि ——————— प्रतिवादीगण

मू०वा०सं०

दावा - स्थायी व्यादेश

नक्शा नजरी

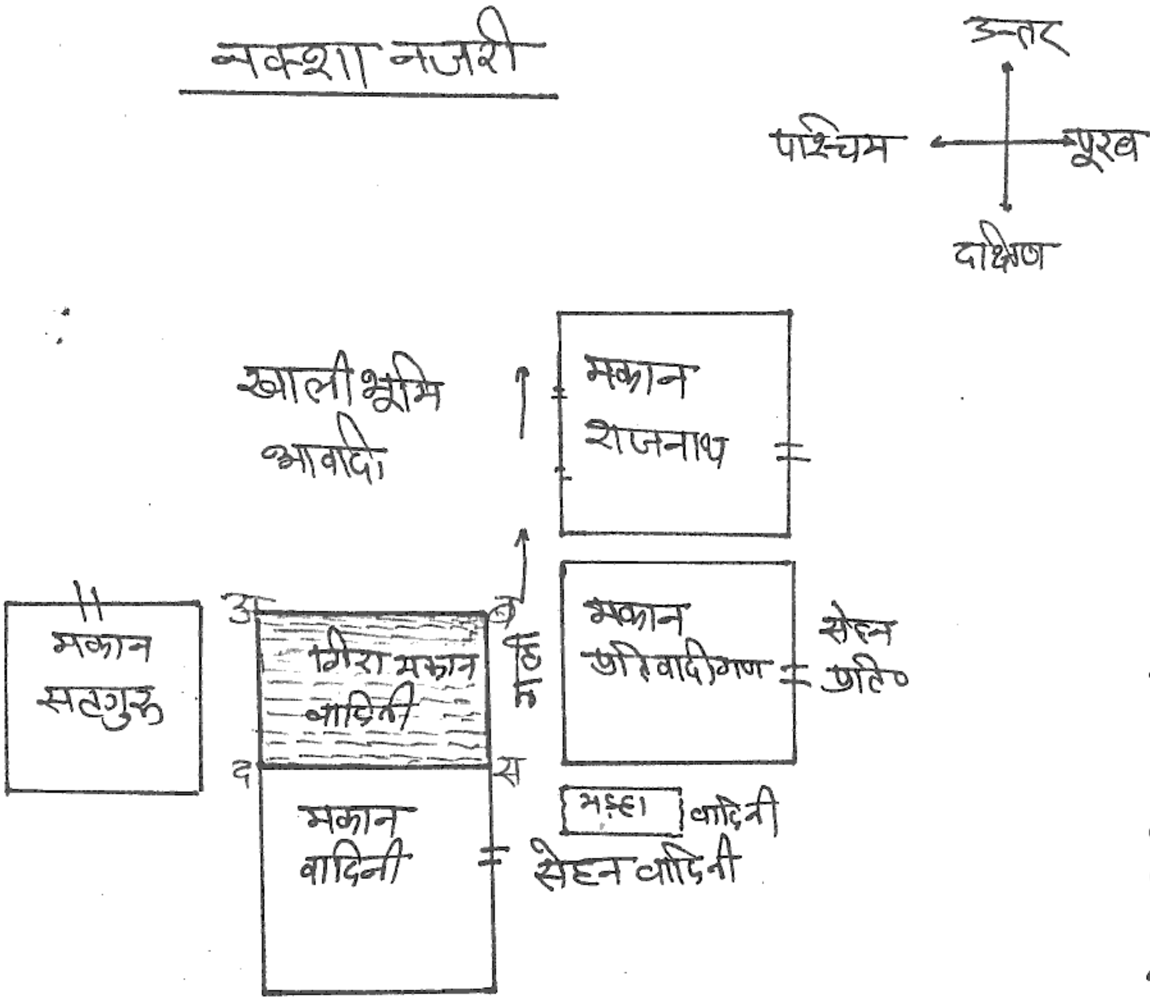

न्यायालय श्रीमान सिविल जजमहोदय (जू०ड०) कक्षा सं० 15 सुल्तानपुर
श्रीमती लखपती बनाम रामप्रवेश आदि
मू०वा०सं०
दावा - स्थायी व्यादेश

नि०अं० श्रीमती लखपती

प्रार्थिनी —

श्रीमती लखपती

——————— वादिनी

द्वारा
अधि०

न्यायालय सिविल जज (प्रवर खण्ड) कक्ष सं0–15 सुलतानपुर

मूल वाद संख्या– 1345/20

[illegible] बनाम [illegible]

दिनांक 08/10/20

आज यह वादपत्र व शपथपत्र मुन्सरिम आख्या के साथ प्रस्तुत हुआ अवलोकित । अंगीकरण के विन्दु पर सुनवाई हेतु पेश हो ।

आदेश

मूलवाद के रूप मे पंजीकृत हो । वाद दिनांक 09/11/20 को वास्ते बयान तहरीरी एंव दिनांक 09/11/20 को वास्ते विरचित किये जाने वादविन्दु पेश हो । विपक्षी को सम्मन जारी हो वादी पैरवी तीन दिन मे करे

सिविल जज(प्रवर खण्ड),
कक्ष सं0–15 सुलतानपुर

5ग2 प्रार्थनापत्र हुकुम इम्तिनाई चन्दरोजा अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 जा0दी0 ।

6ग2 शपथपत्र ।

7ग2 प्रार्थनापत्र कमीशन अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 जा0दी0 प्रस्तुत किया गया ।

न्यायालय सिविल जज प्रवर खण्ड कक्ष संख्या–15 सुलतानपुर।

मूल वाद संख्या–1345 / 2020
श्रीमती लखपती——-बनाम——राम प्रवेश आदि।

दिनांक–09.10.2020

प्रार्थना पत्र 5ग2 वादिनी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध अंतरिम निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु प्रस्तुत किया गया है। वादिनी विद्वान अधिवक्ता को एक पक्षी रूप से सुना। पत्रावली का अवलोकन किया। वादिनी द्वारा वाद भूमि दर्शित अक्षर अ, ब, स, द नक्शा वाद पत्र को अपने मकान संख्या 152 का उत्तरी अंश होना कहा है और यह भी कथन किया है कि प्रतिवादीगण का विवादित भूमि से कोई संबंध नहीं वह जबरदस्ती उस पर कब्जा करना चाहते है। नक्शा वाद पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद भूमि वादिनी के मकान के उत्तर स्थित है वादिनी का सेहन उसके मकान के पूरब है। वाद भूमि में वादी का कोई निकास होना दर्शित नहीं है और वाद भूमि एवं वादिनी के मकान की लम्बाई चौडाई भी नहीं दिया गया है। विवादित मकान के पूरब प्रतिवादीगण का मकान भी होना दर्शित है। अतः ऐसे में मामले के तथ्यों व परिस्थितियों में प्रतिवादीगण को सुना जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

आदेश

प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। आपत्ति आमंत्रित किया जाता है। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 5ग2 व आपत्ति दिनांक 09.11.2020 को पेश हो।

09.10.20

(संदीप कुमार)
सिविल जज (प्र0 ख0) कक्ष सं0–15
सुलतानपुर।

प्रार्थना पत्र 7ग2

वादी द्वारा अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 जरिये अमीन अदालत वाद भूमि का कमीशन कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थना पत्र 7ग2 स्वीकार किया जाता है। वादी पैरवी अविलम्ब करे। हल्का अमीन को वादायुक्त नियुक्त किया जाता है। वाद पैरवी वादायुक्त को परवाना जारी हो। वादायुक्त उभयपक्ष को सुचित कर नियमानुसार वाद भूमि का कमीशन कार्यवाही कर आख्या मय नक्शा नियत दिनांक तक प्रस्तुत करे।

09.10.20

(संदीप कुमार)
सिविल जज (प्र0 ख0) कक्ष सं0–15
सुलतानपुर।

न्यायालय सिविल जज (प्र0 ख0)– कक्ष संख्या–15, सुलतानपुर।

मूल वाद संख्या–1345/2020

श्रीमती लखपती––––बनाम––––राम प्रवेश आदि।

2k/3

दिनांक 13.10.2020

प्रार्थना पत्र दिनांकित 13.10.2020 अन्तर्गत आदेश 23 नियम 01 जा0 दी0 वादी द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त वाद बावत स्थायी व्यादेश का वादिनी ने माननीय न्यायालय में संस्थित किया है जिसमें अनेक विधिक त्रुटियां है जिसकी दुरूस्ती संशोधन द्वारा नहीं की जा सकती है। ऐसी स्थिति में वदिनी को पुनः वाद संस्थित करने की अनुमति देते हुए वाद उठाये जाने की अनुमति दिया जाना आवश्यक है।

सुना पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित है। उक्त वाद प्रस्तुत करते समय अनेक विधिक त्रुटियां होने के कारण वादी मुकदमा वाद वापस लेना चाहता है। अतः ऐसे में प्रार्थना पत्र वादिनी स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र दिनांकित 13.10.2020 स्वीकार किया जाता है। वादिनी को पुनः वाद संस्थित करने की अनुमति के साथ दावा उठाने की अनुमति दिया जाता है।

कार्यालय नियमानुसार पत्रावली दाखिल दफ्तर करे।

13.10.20

(संदीप कुमार)
सिविल जज (प्र0 ख0) कक्ष संख्या–15,
सुलतानपुर।

OS- 1434/20

भारतीय कोर्ट फी

भारत 100 रु. एक सौ रुपये

INDIA Rs.100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA COURT FEE

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 477916

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र.श्र.) कक्ष सं. 5
मुजफ्फरनगर

श्रीमती लखपती ——— वादिनी

बनाम

रामदेश आदि ——— प्रतिवादीगण

मू.वा.नं.

1434/20

प्रार्थिनी -
श्रीमती लखपती
——— वादिनी

द्वारा
अधिवक्ता
16-10-20

भारतीय कोर्ट फी

भारत
100 रु.
एक
सौ रुपये

सत्यमेव जयते

INDIA
Rs.100
ONE
HUNDRED
RUPEES

INDIA COURT FEE

477917

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (जू०ख०) कक्ष सं० 15

श्रीमती लखपती — बनाम — वादिनी

श्यामसुंदर आदि — प्रतिवादीगण

आवेदन

प्रार्थी
श्रीमती लखपती

16-10-20

भारतीय कोर्ट फी

भारत 100 रु. एक सौ रुपये

INDIA Rs.100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA COURT FEE

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 477918

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (जू०डि०) (कक्ष सं० 15 सुल्तानपुर)

श्रीमती लाजपती —— वादिनी

बनाम

आरजूवेश आदि —— प्रतिवादीगण

दावा

प्रा० 290 क

वादिनी

श्रीमती लाजपती

वादिनी

ह० अधिवक्ता

16-10-20

भारतीय कोर्ट फीस

भारत 100 रु. एक सौ रुपये

सत्यमेव जयते

INDIA Rs.100 ONE HUNDRED RUPEES

INDIA COURT FEE

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 477919

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (जू०ड०) कोर्ट नं० 15 लखनऊ

श्रीमती लक्ष्मी ———— वादिनी

बनाम

राजेश आदि ———— प्रतिवादीगण

मु०ना०न०

वकालतनामा

वादिनी

श्रीमती लक्ष्मी

वादिनी

16-10-20

भारतीय कोर्ट फी

भारत
100 रु.
एक
सौ रुपये

सत्यमेव जयते

INDIA
Rs.100
ONE
HUNDRED
RUPEES

INDIA COURT FEE

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

477920

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र.श्रे.) कक्ष सं. 15 मुरादाबाद

श्रीमती लखपती —————— वादिनी
बनाम
राजकुमार आदि —————— प्रतिवादीगण

वकालतनामा

मुख्तारनामा

वादिनी
श्रीमती लखपती
—————— वादिनी

16-10-20

न्यायालय श्रीमान सिविल जज(प्र0ख0)महोदय कक्ष सं0—15 सुलतानपुर

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र0 ख0) कक्ष संख्या 15 सुलतानपुर
श्रीमती लखपती बनाम राम प्रवेश आदि सा0वा0 सं0— सन 2020 ई0

श्रीमती लखपती उम्र करीब 70 साल बेवा रामचरन निवासिनी ग्राम—मझुई (डिहवा) परगना—चांदा तहसील—लम्भुआ जनपद सुलतानपुर...............वादिनी

बनाम

1—राम प्रवेश उम्र करीब 30 साल सुत रामफेर

2—बृजेश उम्र करीब 25 साल सुत रामफेर

3—सुभाष उम्र करीब 27 साल सुत रामफेर

4—श्रीमती लालती उम्र करीब 60 साल बेवा रामफेर

निवासीगण ग्राम—मझुई (डिहवा) परगना—चांदा तहसील—लम्भुआ जनपद सुलतानपुर..प्रतिवादीगण

5—राजनाथ उम्र करीब 41 साल सुत रामचरन

6—जितेन्द्र कुमार उम्र करीब 38 साल सुत रामचरन

7—महेन्द्र कुमार उम्र करीब 33 ससल सुत रामचरन

निवासीगण ग्राम—मझुई (डिहवा) परगना—चांदा तहसील—लम्भुआ जनपद सुलतानपुर..प्रोफार्मा प्रतिवादीगण

सा0वा0सं0— /2020

दायरा दिनांक— 16-10-20

<u>दावा स्थायी व्यादेश</u>

महोदय,

वादिनी निम्न प्रकार विनयी है कि :—

धारा 1—यह कि वादिनी व प्रतिवादी सं0—5 ता 7 बसिलसिले अपने मूरिसान कब्ल खात्मा जमीन्दारी के अरसां पूर्व से मौजा—मझुई (डिहवा) परगना—चांदा

तहसील—लम्भुआ जनपद सुलतानपुर. की आबादी में आबाद चले आ रहे है। उसकी खेतीबारी मकान अगवाड़ा—पिछवाड़ा मौजा हाजा में वाके है। प्रतिवादीगण भी मिस्ल वादिनी मौजा हाजा के वासिन्दा है।

धारा 2—यह कि वाद भूमि का पूर्ण विवरण वाद पत्र के अन्त में दिया जा रहा है तथा मौके की वास्तविक स्थित दर्शित करने हेतु वाद पत्र के साथ एक नक्शा नजरी दी जा रही है। जिसमें वाद भूमि व उसके अगल बगल स्थित चीजो को यथास्थान प्रदर्शित किया गया है नक्शा नजरी में वाद भूमि को बरंग सुर्ख अक्षर अ, ब, स, द से दर्शित किया गया है। नक्शा नजरी वाद पत्र का अभिन्न अंग है।

धारा 3—यह कि मौजा हाजा में वादिनी के पति का बनवाया हुआ दो खन्द का मकान वाके रहा जो काफी जर्जर व पुराना हो गया था, वादिनी ने किसी प्रकार से रूपया पैसा का इन्तजाम करके दक्षिणी खन्द का निर्माण करवाया जो इस समय अपने स्थान पर स्थित है तथा उत्तरी खन्द गिर गया है जिसका उपयोग व उपभोग वादिनी बसिलसिले अपने पति के समय से करती चली आ रही है।

धारा 4—यह कि विवादित भूमि पूरब—पश्चिम—40 फिट तथा उत्तर—दक्षिण 30 फिट है। विवादित आराजी के जानिब पूरब कोलिया वादहू मकान प्रतिवादीगण पश्चिम मकान सतगुरू, उत्तर—आबादी की भूमि, दक्षिण—मकान नं0—152 का शेष भाग स्थित है।

धारा 5—यह कि वादिनी बसिलसिले अपने पति मौजा हाजा में जमीन्दारी टूटने के पूर्व से आबाद रही वाद खात्मा जमीन्दारी वादिनी के पति अपने मकान व उससे संलग्न भूमि के अन्तर्गत धारा—9 जमीन्दारी विनाश अधिनियम एवं भूमि सुधार अधिनियम मालिक व स्वामी हो गये और अब वादिनी व प्रतिवादी सं0 5 ता 7 विवादित आराजी के मालिक व स्वामी है।

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र0 ख0) कक्ष संख्या 15 सुलतानपुर
श्रीमती लक्ष्मी बनाम राम प्रवेश आदि मा0वा0 सं0— सन 2020 ई0

धारा 6—यह कि विवादित भू—भाग पर वादिनी का खपरैल मकान वाके रहा हे जिससे प्रतिवादी सं0—1 ता 4 का कभी कोई वास्ता सरोकार कब्जा व दखल न क्षणमात्र के लिए रहा है और न आज ही है।

धारा 7—यह कि प्रतिवादी सं0—5 ता 7 बसिलसिले रोजी रोटी बाहर होने के कारण दावा प्रस्तुत किये जाते समय मौके पर उपस्थिति नहीं है दावा उनके भी हित के लिए है इसलिए प्रोफार्मा प्रतिवादीगण बनाया जा रहा है।

धारा 8—यह कि प्रतिवादी सं0—1 ता 4 का मकान विवादित भूमि के जानिब पूरब स्थित है और उनके मकान का सेहन व बैठका उनके मकान के सामने जानिब पूरब तरफ काफी बड़े भू—भाग में स्थित है।

धारा 9—यह कि प्रतिवादी सं0—1 ता 4 की नियत हमेशा फैलाव की रहती है। क्योंकि विवादित भूमि पर स्थित वादिनी के मकान का जुज उत्तरी भाग खस्ता हालत में गिरा पड़ा है इसलिए प्रतिवादी सं0—1 ता 4 अपनी फैलाव वादी नीति के तहत विवादित भूमि से वादिनी व प्रतिवादी सं0—5 ता 7 को बेदखल कर उस पर जबरदस्ती कब्जाकर उस पर नवनिर्माण कर लेने की कोशिश में लगे हुए है।

धारा 10—यह कि वादिनी की गरीबी व लाचारी का बेजा व नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादी सं0—1 ता 4, वादिनी के गिरे हुए मकान पर जबरदस्ती कब्जा करने के लिए प्रयासरत है और वादिनी को बराबर वाद भूमि से बेदखल कर देने की धमकी दे रहे है।

धारा 11—यह कि प्रतिवादी सं0—1 ता 4 अपने नाजायज कृत्य को अन्जाम देने की नियत से दिनांक—05.10.2020 को विवादित भूमि पर आकर उसकी नाप जोख करने लगे। वादिनी द्वारा मना करने पर आमादा फौजदारी हुए और विवादित भूमि से वादिनी के बेदखलकर उस पर जबरदस्ती कब्जा करके नवनिर्माण कर लेने की ऐलानियां धमकी देने लगे।

धारा 12—यह कि प्रतिवादी सं0—1 ता 4 की ऐलानियां धमकी पर वादिनी ने ग्राम के सम्भ्रान्त व्यक्तियों की पंचायत बुलायी किन्तु भरी पंचायत में प्रतिवादी सं0—1 ता 4 अपनी बेजा हरकत में बाज आने को तैयार नहीं हुए और अपनी नाजायज धमकी पर अडिग है।

धारा 13—यह कि वाद का मुख्य कारण समात अदालत हाजा दिनांक—05.10.2020 को प्रतिवादी सं0—1 ता 4 द्वारा एकजुट होकर विवादित भूमि की नापजोख करने, वादिनी द्वारा मना करने पर आमादा फौजदारी होने तथा विवादित भूमि से वादिनी को बेदखल कर उस पर जबरदस्ती कब्जा करके नवनिर्माण कर लेने की ऐलानियां धमकी देने वादहू भरी पंचायत में पंचो की बात को मानने से स्पष्ट रूप से इन्कार कर देने के कारण माननीय न्यायालय के न्यायिक व आर्थिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न हुआ।

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र0 ख0) कक्ष संख्या 15 सुलतानपुर
श्रीमती लखपती बनाम राम प्रवेश आदि मू0वा0 सं0— सन 2020 ई0

धारा 14—यह कि माननीय न्यायालय के न्यायिक व आर्थिक क्षेत्राधिकार के निस्तारण के लिए विवादित भूमि की बाजारी कीमत मु0—600000/—रूपये कायम की जाती है, तथा बअदाय कोर्ट फीस मु0—600000/—रूपये के 1/5 भाग मु0—120000/—रूपये पर दावा स्थायी व्यादेश होने के नाते अधिकतम न्यायशुल्क मु0—500.00/—रूपये अदा किया जाता है।

याचना

अ—डिक्री स्थायी व्यादेश वहक वादिनी व प्रतिवादी सं0—5 ता 7 विरूद्ध प्रतिवादी सं0—1 ता 4 इस अम्र की सादिर फरमाई जावे कि प्रतिवादी सं0—1 ता 4 को हमेशा—हमेशा के लिए मना कर दिया जावे कि वे विवादित आराजी में न कोई निर्माण करे न उससे वादिनी को बेदखल करे, न वाद भूमि की नवैयत तब्दील करें, न वादिनी के शान्तिपूर्ण अध्यासन में हस्तक्षेप व अवरोध उत्पन्न करे न ही कोई ऐसा कार्य करे जिससे वादिनी व प्रतिवादी सं0—5 ता 7 के शान्तिपूर्ण अध्यासन में हस्तक्षेप व अवरोध हों।

स—वाद व्यय वादिनी को प्रतिवादी सं0—1 ता 4 से दिलाया जाय।

द—अन्य याचना जो न्यायालय उचित समझे वादिनी को प्रतिवादी सं0—1 ता 4 से प्रदान करवायी जाय।

विवरण विवादित भूमि

विवरण विवादित भूमि स्थित ग्राम—मझुई (डिहवा) परगना—चांदा तहसील—लम्भुआ जनपद सुलतानपुर बमुताबिक नक्शा नजरी बरंग सुर्ख अक्षर अ, ब, स, द जुज अर्जी दावा जो मकान नं0—152 का उत्तरी अंश है।

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र0 ख0) कक्ष संख्या 15 सुलतानपुर
श्रीमती लखपती बनाम राम प्रवेश आदि सा0वा0 सं0— सन 2020 ई0

नि.अ. श्रीमती लखपती

मैं वादी तसदीक करती हूँ कि वाद पत्र की धारा 1 ता 13 मेरे निजी ज्ञान से सही व सच है तथा धारा 14 व याचना के सही होने का पूरा विश्वास है इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है ईश्वर मेरी मदद करें तसदीक मुकाम दीवानी अहाता जनपद सुलतानपुर

तसदीक दिनांक 16-10-2020

नि.अ. श्रीमती लखपती

प्रार्थिनी

श्रीमती लखपती बेवा रामचरन निवासिनी ग्राम—मझुई (डिहवा) परगना चांदा तहसील लम्भुआ जनपद सुलतानपुर ....वादिनी

द्वारा

अधिवक्ता

दिनांक 16-10-20

न्यायालय श्रीमान सिविल जज महोदय (जू०ड०) कक्षा सं· 15 सुल्तानपुर

श्रीमती लखपती ———————— वादिनी
बनाम
राम प्रवेश आदि ———————— प्रतिवादीगण

सा· वाद सं०
दावा - स्थायी व्यादेश

नक्शा नजरी

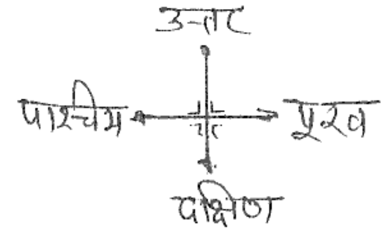

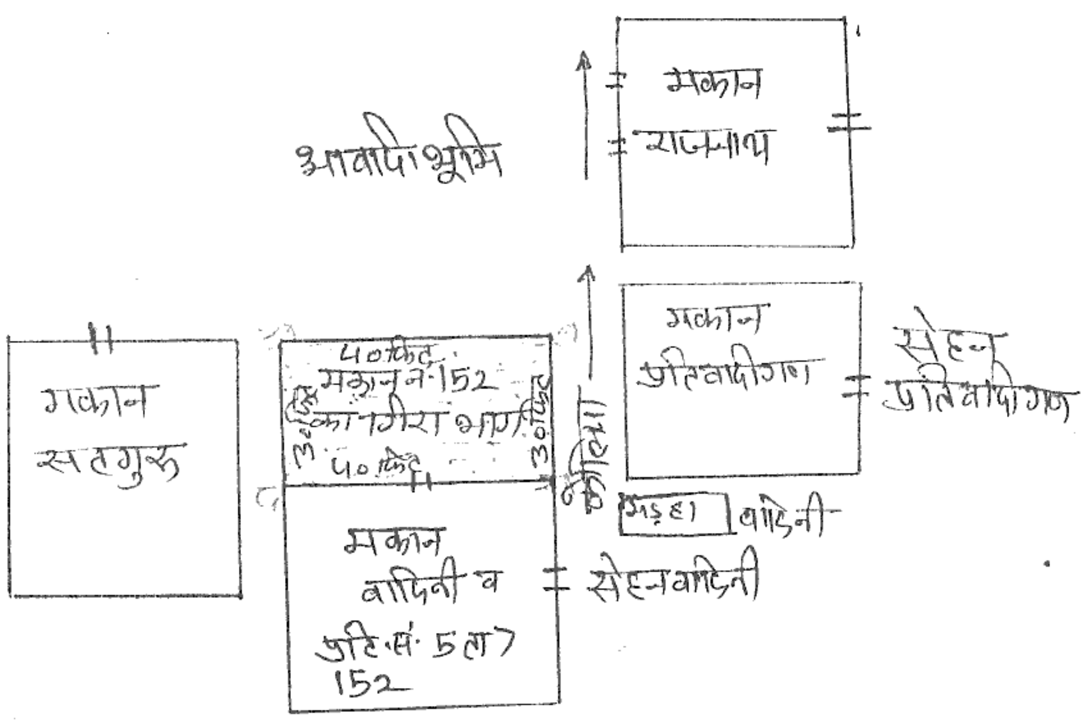

न्यायालय श्रीमान सिविल जज महोदय (जू०ड०) कक्षा सं· 15 सुल्तानपुर
श्रीमती लखपती बनाम राम प्रवेश आदि
सा· वाद सं·
दावा - स्थायी व्यादेश

निशान
श्रीमती लखपती

प्रार्थिनी —
श्रीमती लखपती
———— वादिनी

द्वारा
अधिवक्ता

16-10-20

न्यायालय सिविल जज (प्रवर खण्ड) कक्ष स0--
सुलतानपुर

मूल वाद संख्या-- 1534/20

श्रीमती ... बनाम ...

दिनांक 16-10-20

आज यह वादपत्र व शपथपत्र मुन्सरिम आख्या के साथ प्रस्तुत अवलोकित । अंगीकरण के विन्दु पर सुनवाई हेतु पेश हो ।

आदेश

मूलवाद के रूप मे पंजीकृत हो । वाद दिनांक 18-11-20 वास्ते बयान तहरीरी एंव दिनांक 25-11-20 को वास्ते विरचित ... वादविन्दु पेश हो । विपक्षी को सम्मन जारी हो वादी पैरवी ...

सिविल जज(प्रवर खण्ड)
कक्ष सं0--15 सुलतानपुर

5ग2 प्रार्थनापत्र हुकुम इम्तिनाई चन्दरोजा अन्तर्गत आदेश 39 नियम ... जा0दी0 ।
6ग2 शपथपत्र ।
7ग2 प्रार्थनापत्र कमीशन अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 जा0दी0 प्रस्तुत ... गया ।

25/11
25/11/20
(वादी)

नियत दिनांक तक प्रस्तुत करे।

16.10.20
(संदीप कुमार)
सिविल जज (प्र0 ख0) कक्ष सं0--15
सुलतानपुर।

न्यायालय सिविल जज प्रवर खण्ड कक्ष संख्या–15 सुलतानपुर।

मूल वाद संख्या–1434/2020
श्रीमती लखपती-------बनाम-----राम प्रवेश आदि।

दिनांक 16.10.2020

प्रार्थना पत्र 5ग2 वादिनी द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 के विरूद्ध अन्तरिम निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु प्रस्तुत किया गया है। वादिनी विद्वान अधिवक्ता को एक पक्षी रूप से सुना पत्रावली को अवलोकन किया। वादिनी द्वारा वाद भूमि दर्शित अक्षर अ, ब, स, द नक्शा वाद पत्र को मकान संख्या 152 का जुज अंश अपना व प्रतिवादी संख्या 05 ता 07 की भूमि होना कहा है। वादिनी ने यह भी कथन किया है कि विवादित भूमि से प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 का कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। वे जबरदस्ती वाद भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं। वादिनी ने अपने कथन के समर्थन में सूची 9ग1 से परिवार रजिस्टर की प्रति कागज संख्या 10ग1/1, आधार कार्ड की छायाप्रति 11ग1/1 प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत परिवार रजिस्टर की प्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादिनी का नाम मकान संख्या 152 पर दर्ज है। वाद भूमि के बावत वादिनी का प्रथम दृष्टया मामला बनना पाया जाता है। अतः ऐसे में यदि अंतरिम निषेधाज्ञा का आदेश नहीं दिया जाता है और इस दौरान प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 द्वारा वाद भूमि पर अनधिकृत कब्जा किया जाता है तो वादिनी का वाद लाने का मकसद ही विफल हो जायेगा। अतः न्याय हित में अंतरिम निषेधाज्ञा का आदेश दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

उभय पक्ष को आदेशित किया जाता है कि वे वाद भूमि दर्शित अक्षर अ, ब, स, द नक्शा नजरी पत्र पर नियत दिनांक तक यथास्थिति बनाये रखे। वादिनी आदेश 39 नियम 3 सि0 प्र0 स0 का अनुपालन करे। प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। आपत्ति आमंत्रित। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 5ग2 व आपत्ति दिनांक 18.11.2020 को पेश हो।

16.10.20
(संदीप कुमार)
सिविल जज (प्र0 ख0) कक्ष सं0–15
सुलतानपुर।

प्रार्थना पत्र 7ग2

वादी द्वारा अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 जरिये अमीन अदालत वाद भूमि का कमीशन कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थना पत्र 7ग2 स्वीकार किया जाता है। वादी पैरवी अविलम्ब करे। हल्का अमीन को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। वाद पैरवी वादाफुक्त को परवाना जारी हो। कमिश्नर उभयपक्ष को सूचित कर नियमानुसार वाद भूमि का कमीशन कार्यवाही कर आख्या मय नक्शा नियत दिनांक तक प्रस्तुत करे।

16.10.20
(संदीप कुमार)
सिविल जज (प्र0 ख0) कक्ष सं0–15
सुलतानपुर।

25/11

10-11-20 — पुकार पर पक्षकार उपस्थित। 16 CPC प्रार्थना पत्र के निस्तारण गुण-दोष, प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत [illegible] वादी द्वारा प्रतिवादी को प्रतिलिपि प्रदान की गयी।
नि० - 25-11-20 को वास्ते आपत्ति 5 CPC पेश हो। T.I. प्रभारी

C No. 15.

02/12 [illegible]

[illegible] 02/12/20

25-11-20 पी.ओ. के अवकाश पर [illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
दिनांक 2-12-20 को पेश हो। T.I. प्रभारी

[illegible]

02-12-20 — पुकार पर पक्षकार उपस्थित।
नि० - 15-12-20 को वास्ते आपत्ति 5 CPC व [illegible] पेश हो। T.I. प्रभारी

15/12/20

[illegible] 15/12/20 (वादीवादी)

C No. 15.

15-12-20 — पुकार पर पक्षकार उपस्थित।
नि० - 07-01-21 को वास्ते आपत्ति निस्तारण व CR पेश हो। T.I. प्रभारी

07/01/21

[illegible] 22/01/21

07-01-21 — अधिवक्तागण कार्य से विरत हैं।
नि० - 22-01-21 को वास्ते आपत्ति 5 CPC व CR पेश हो। T.I. प्रभारी

C No. 15.

22/01

[illegible] 22/01/21 (वादी)

OS No: 1434/20

22-1-21 = पुकार पर पक्षकार उपस्थित। दि० 22-02-21 को वास्ते आपत्ति/CR व वाद C.R पेश हो। T.I. पुकार हो।

22-02-21 – पुकार पर पक्षकार उपस्थित। शोक प्रस्ताव है। दि० 24-02-21 को वास्ते आपत्ति/CR वाद C.R पेश हो। T.I पुकार हो।

C 7615

24/02

24/2/21

24/2/21

24.02.21 पुकार पर पक्षकार उपस्थित। CR पर उभयपक्ष की आपत्ति [illegible] दि० 4-3-21 को वास्ते [illegible] CR/आपत्ति हेतु पेश हो। T.I. पुकार हो।

TI पुकार CR [illegible] वास्ते [illegible] CR/आपत्ति 04/03/21

04.03.21 पुकार पर पक्षकार उपस्थित। C.R पर आपत्ति हेतु अंतिम अवसर दिया जाता है। दि० 17-03-21 को वास्ते निस्तारण C.R/आपत्ति पेश हो। T.I. पुकार हो।

C 7615

TI पुकार CR [illegible] 17/03/21

4/3/21

17/3

17/3/21

17.03.21

PW

[illegible]

[illegible]

[illegible] CRW [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] @ 250/- [illegible]

[illegible]

[illegible]

CRW [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] CR [illegible]

[illegible] 31.03.21 [illegible]

[illegible]

2/3/3

3/3

31-03-21 – P.O. महोदय [illegible]

[illegible] 30 [illegible]

[illegible]

दि – 13-04-21 [illegible]

[illegible]

c. 16.15

13/04/21

13/4/21

ए.डी.जे. 1434/20

28/04/21 | 13.04.21 — पुकार ... [illegible]
उपस्थित दि. – 28.04.21
[illegible] वास्ते [illegible]
पेश हो। न्यायाधीश
[illegible]

R.S. 28/04/21 (न्यायाधीश)

28/4/21 GD- 26/5/21
26/5/21 GD. 18/6/21
18/6/21 GD. 7/9/21
न्यायाधीश